रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 259] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 3, 1973/कार्तिक 12, 1895

No. 259] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 3, 1973/KARTIKA 12, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 3rd November 1973

SUBJECT.—*Import of Raw Cashewnuts (S. No. 20/IV) during April 1973—March, 1974.*

No. 183-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the policy for import of raw cashewnuts as contained against S. No. 20/IV, in Section II of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for April, 1973—March, 1974.

2. The following entry may be deemed to have been inserted as remark No. (2), against S. No. 20/IV in Section II of the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for April, 1973—March, 1974. Relevant entry in Section III of the Red Book may be deemed to have been amended accordingly:—

"2(1) The available quantity of imported raw cashewnuts will be distributed by the canalising agency *viz.* the Cashew Corporation of India Ltd. (hereinafter referred to as "Corporation") to the eligible actual users. The eligible actual users are those processors who had participated in the import and export trade of cashewnuts and operated cashew processing factories in any of the calendar years 1968, 1969 and upto 31st August, 1970.

(ii) The allocations of imported nuts will be made by the Corporation to eligible actual users on the basis and in the manner indicated below:

(a) Allocations will be made to those factories declared by the processors (actual users) in the proforma filed with the Corporation and/or accepted by them after the date of canalisation.

(b) Any factory closed down for a continuous period of two years or more after 1st September, 1970, will not be eligible for allotment of raw nuts;

(c) Any factory which does not conform to the provisions of Law relating to safety, conditions of service or fixation and payment of wages to the workmen will not be eligible for allotment of raw nuts from the Corporation.

(d) The allocation to each factory shall be determined by the Corporation on the basis of the labour strength ascertained from the Muster Roll maintained by the factory and verified by the Corporation.

(e) The raw nuts allotted by the Corporation shall be processed in the factory in respect of which allotment has been made in the letter of allotment issued by the Corporation and no transfer either in part or in full to any other factory will be permitted.

(iii) The allocation shall be subject to the condition that cashew kernels equivalent of 12 per cent in terms of yield of the raw nuts allotted, shall be exported and proof thereof furnished to the Corporation.

S. G. BOSE MULLICK,
Chief Controller of Imports & Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1973

विषय.—अप्रैल, 1973–मार्च, 1974 के दौरान कच्चे काजू (क्रम सं० 20/4) का आयात ।

संख्या : 183 आई० टी० सी० (पी० एन०)/73.—अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक-वा०I) के खंड–2 में क्रम संख्या 20/4 के सामने कच्चे काजू के आयात के लिए यथा निहित नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. अप्रैल, 1973—मार्च, 1974 के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैड बुक–वा०I) के खंड–2 क्रमसंख्या 20/4 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टि अभ्युक्ति संख्या (2) के रूप में निविष्ट की गई समझी जाए। रैडबुक के खंड–3 में सम्बन्धित प्रविष्टि तदनुसार संशोधित की गई समझी जाए :—

"2(1) आयातित कच्चे काजू की उपलब्ध मात्रा, सारणीबद्ध करने वाले अभिकरण अर्थात् भारत के काजू निगम लि० (इस के बाद "निगम" कहा गया है) द्वारा पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को वितरित की जाएगी । पात्र वास्तविक उपयोक्ता वे संसाधन कर्ता हैं जिन्होंने काजू के आयात तथा निर्यात व्यापार में भाग लिया था और जिन्होंने 1968, 1969, और 31 अगस्त, 1970 तक पांचांग वर्षों में से किसी एक वर्ष में काजू संसाधित करने के कारखाने चलाये थे ।

(2) आयातित काजू के आबंटन निगम द्वारा पात्र वास्तविक उपयोक्ताओं को नीचे उल्लिखित आधार पर और विधि के अनुसार किए जाएंगे :

(क) आबंटन उन कारखानों को किए जाएंगे जो संसाधित करने वालों (वास्तविक उपयोक्ताओं) द्वारा कार्पोरेशन को किए गए प्रपत्र में घोषित किए गए थे और / अथवा सारणीबद्ध करने की तिथि के बाद उन के द्वारा स्वीकार कर लिए गये थे ।

(ख) कोई भी कारखाना जो 1-9-1970 के बाद लगातार 2 वर्ष की अवधि या उससे अधिक के लिए बन्द पड़ा है, कच्चे काजू के आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा ।

(ग) कोई भी कारखाना जो सुरक्षा, सेवा की शर्तों अथवा मजदूरों के वेतनों के निर्धारण और भुगतान से सम्बन्धित कानून की व्यवस्थाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है तो वह कार्पोरेशन द्वारा कच्चे काजू के आबंटन के लिए पात्र नहीं होगा ।

(घ) प्रत्येक कारखाने के लिए आबंटन का निश्चयकरण कार्पोरेशन द्वारा कारखाने द्वारा रखी गई नामावली से प्राप्त की गई श्रमिक संख्या और कार्पोरेशन द्वारा सत्यापन के आधार पर किया जाएगा ।

(ङ) कार्पोरेशन द्वारा आंबटित कच्चे काजू का संसाधन उस कारखाने में किया जाएगा जिसके सम्बन्ध में कार्पोरेशन द्वारा जारी किए गए आबंटन पत्र में आबंटन कर दिए गए हैं और किसी किस्म के हस्तांतरण चाहे वह अंश में हो या पूर्ण रूप में हो, की स्वीकृति नहीं दी जाएगी ।

(3) आबंटन इस शर्त के अधीन होगा कि आबंटित कच्चे काजू के उत्पादन के अनुसार 12 प्रतिशत के बराबर काजू के दाने निर्यात किए जाएंगे और इसके लिए कार्पोरेशन को सत्यापन प्रस्तुत कर दिया जाता है ।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978